न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 525/2025 राजस्व वाद

1. अमित नागोरी पुत्र मदनलाल नागोरी जाति नागोरी आयु वयस्क निवासी बी0–346, आर०के० कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नमिता पत्नि अभिषेक जाति जैन आयु वयस्क निवासी ए0–157 आर०के० कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–वादीगण

बनाम.

1. कैलाश चन्द्र सचिन कुमार एच०यू०एफ० कर्ता कैलाश चन्द्र पुत्र सुवालाल जाति काबरा आयु वयस्क निवासी 92, बांसवाली गली, विद्युत नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. चम्पा पत्नि बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. दीपक पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नानी पत्नि जमनालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बजरंग पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. मिठूलाल पुत्र जमनालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. मोहन पुत्र केसर जाति राव आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राजेश पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज०)
9. लादू पुत्र भंवरलाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. लोकेश पुत्र आनंदीलाल सुराणा जाति सुराणा आयु वयस्क निवासी सहाड़ा तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा० टि० एक्ट बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात।

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्रवण कुमार सेन।

निर्णय दिनांक–23/6/2025

वादीगण की ओर से दिनांक 14.02.2025 को अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में रजिस्टर क्रम संख्या 35/2025 पर पंजीबद्ध किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

आराजी नम्बर	रकबा
1040	1.7069 हैक्टेयर
कुल किता 01	कुल रकबा 1.7069 हैक्टेयर

23/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमें वादी संख्या 01 एक का 1/8 वां हिस्सा, वादी संख्या 02 दो का 1/8 वां हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 तीन का 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 चार का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 पाँच का 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 छः का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 सात का 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 आठ का 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 नौ का 1/6 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/12 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व काश्त करते आ रहे है लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लड़ाई–झगड़ा होता रहता है इसलिए वादीगण अपने 1/8 वां –1/8 वां हिस्सा का अपने कब्जे के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर खाता अलग कर, लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने के वादीगण अधिकारी है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/8 वां – 1/8 वा हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है, इसलिए वादी अपने 1/8 वां– 1/8 वा हिस्सा का मौके व रेकॉर्ड के अनुसार माप व सीमांकन के आधार 1/8 वां हिस्सा 1/8 वां हिस्सा पर विभाजन किया जाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण हर समय टालम टोल करते रहे किन्तु प्रतिवादीगण विभाजन के लिए तैयार नही हुऐ तथा वादीगण ने अन्तिम बार प्रतिवादीगण को दिनांक 05.02.2025 को विभाजन के लिए निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण बिल्कुल ही विभाजन के लिए इन्कार हो गये, अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह विभाजन का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 05.02.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन कराने से इन्कार होने की दिनांक 05.02.2025 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रस्तुत वाद विभाजन का है जिसमें राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा को भू–धारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई विशेष अनुतोष अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा०टि०एक्ट बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) की कृषि आराजी नम्बर 1040 एक हजार चालीस रकबा 1.7069 हैक्टेयर कुल किता 01 एक कुल रकबा 1.7069 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के 1/8 वां 1/8 वां हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 01 के 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो के 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 तीन के 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 चार के 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 पॉच के 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 छः के 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 सात के 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 आठ के 1/72 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 नौ के 1/6 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 के 1/12 वां हिस्से का कब्जे एवं हक हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिंक्री सादिर फरमाई जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवा, तद् नुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावें ।

23/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण का वादपत्र दिनांक 14.02.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। दिनांक 12.03.2025 को प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से तथा प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाना आवश्यक है। अतः वादी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.09.2025 को जारी की गई।

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश कमांक न्याया/विविध/2025/42033 दिनांक 13.02.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89, 92क, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 27.03.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 525/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा दिनांक 08.05.2025 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)के आराजी संख्या 1040 रकबा 1.7069 हैक्टयर का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे क्र0सं0 274/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 भिजवाये गये। प्रतिवादीगण बाद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण के आपत्ति/आक्षेप हेतु सिगेह से तलब की गई। दिनांक 05.06.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पत्रावली में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये कैम्प कोर्ट सवाईपुर में वास्ते सुनवाई हेतु नियत की गई। परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये।

प्रतिवादीगण को वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति/आक्षेप हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तंहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की सामलाती आराजियात जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार खाता संख्या 492 की आराजी संख्या 1040 रकबा 1.7069 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक हिस्सेनुसार वादी संख्या 01 का 1/8 हक हिस्से व वादी संख्या 02 का 1/8 वा हक हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से पक्षकारो को फसल काश्त करने विकास करने उपजाउ बनाने व लगान आदि जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है तथा कृषि भूमि को काश्त करते समय मौके पर वाद विवाद व लडाई झगडा होता रहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 एवं वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि को पृथक–पृथक किये जाने की नायब तहसीलदार बड़लियास से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जावे।

ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की सामलाती आराजियात जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार खाता संख्या 492 की आराजी संख्या 1040 रकबा 1.7069 हैक्टेयर भूमि सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

23/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि आराजियात का बंटवारा कराने के अधिकारी है। अतः नायब तहसीलदार बड़लियास से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त आराजी से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार विभाजित करने की अंतिम डिक्री पारित की जावे।

वादीगण के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में वादग्रस्त आराजियात का विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. वादी संख्या 01 अमित नागोरी पुत्र मदनलाल नागोरी 1/2 एवं नमिता पत्नी अभिषेक जाति जैन हिस्सा 1/2

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1040/1	0.4267	उसर
कुल किता 1		

2. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 खातेदारान्

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1040/2	1.2802	
कुल किता 01		

नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। अतएव

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चावण्डिया प०ह० बनका खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में खाता संख्या 492 की आराजी संख्या 1040 रकबा 1.7069 हैक्टेयर भूमि में नायब तहसीलदार बड़लियास से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

23/6/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 525/2025 राजस्व वाद

1. अमित नागोरी पुत्र मदनलाल नागोरी जाति नागोरी आयु वयस्क निवासी बी0–346, आर०के० कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नमिता पत्नि अभिषेक जाति जैन आयु वयस्क निवासी ए0–157 आर०के० कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

—वादीगण

बनाम.

1. कैलाश चन्द्र सचिन कुमार एच०यू०एफ० कर्ता कैलाश चन्द्र पुत्र सुवालाल जाति काबरा आयु वयस्क निवासी 92, बांसवाली गली, विद्युत नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. चम्पा पत्नि बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. दीपक पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नानी पत्नि जमनालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बजरंग पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. मिठूलाल पुत्र जमनालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. मोहन पुत्र केसर जाति राव आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राजेश पुत्र बनवारी जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज०)
9. लादू पुत्र भंवरलाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. लोकेश पुत्र आनंदीलाल सुराणा जाति सुराणा आयु वयस्क निवासी सहाड़ा तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, कोटड़ी निवर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा० टि० एक्ट बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात।

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित में– इस वाद में आज तारिख 23/6/25 2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अन्तिम डिक्री दी जाती है–

वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जारी की जाती है कि ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का बन का खेडा, भू0अ0नि0क्षैत्र सवाईपुर तहसील कोटड़ी व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1040/1 रकबा 0.4267 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1040/2रकबा 1.2802 हैक्टेयर भूमि में तहसील कोटड़ी एवं नायब तहसीलदार बड़लियास से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव निम्न अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

23/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार कोटड़ी एवं नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

1. वादी संख्या 01 अमित नागोरी पुत्र मदनलाल नागोरी 1/2 एवं नमिता पत्नी अभिषेक जाति जैन हिस्सा 1/2

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1040/1	0.4267	उसर
कुल किता 1		

2. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 खातेदारान्

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1040/2	1.2802	
कुल किता 01		

आज दिनांक 23/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

23/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा